कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।

संख्या: 27905-980/रा०भा० अनुभाग/उ-प/रोहिणी/2024 दिल्ली, दिनांक 10.09.2024

सन्देश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सन्देश को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।
2. विद्वत लिंक नोडल अधिकारी, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. निजी सचिव, विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. सभी शाखा प्रभारी, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सन्देश को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।
5. संबंधित कर्मचारी लेयर्स, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।

सुनील दत्त 10/09/24

(सुनील दत्त)
अनुभाग प्रभारी
हिंदी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम जिला)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

Office of District & Sessions Judge (NW)
सेटॉर डाक प्राप्ति सेल/Outside Receipt Seat
डायरी स./Diary No. 6710
09 SEP 2024
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर, 2024

"हिन्दी दिवस" 14 सितंबर, 2024 के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली परिवार के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

हम सभी जानते हैं कि देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को पूरे उत्साह के साथ हिन्दी दिवस मनाया जाता है। दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26-01-2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना हम सभी का वैधानिक उत्तरदायित्व भी है।

निसंदेह, विगत वर्षों में जिला न्यायालय, दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, यद्यपि अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने शेष हैं। राजभाषा हिन्दी के विकास व प्रयोग को बढ़ाने में आप सभी की दृढ़ इच्छाशक्ति और पूर्ण स्वीकार्यता की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में जिला न्यायालय दिल्ली में निजी सहायक वर्ग के कर्मचारियों को यूनिकोड हिन्दी टाईप का प्रशिक्षण दिया गया है, जोकि कार्यालय के दैनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति तथा विभिन्न न्यायिक जिलों में मनोनीत नोडल अधिकारी व राजभाषा हिन्दी अनुभाग "भारत के जन-जन की भाषा" हिन्दी के प्रयोग व प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में निरंतर प्रयत्नशील हैं।

जिला न्यायालय दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपील की जाती है कि आप सभी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी की प्रगति और प्रयोग को बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए अपना दिन-प्रतिदिन का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी भाषा में करें।

आप सभी को एक बार पुनः हिन्दी दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएँ।

(विनोद कुमार)	**(संजय गर्ग)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।	तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

50398 - 50698

संख्या................................/हिन्दी/संदेश/238/2024 दिल्ली, दिनांक 10 SEP 2024

संदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय वि. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली, इस अनुरोध सहित कि उक्त संदेश को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित करवाने का कष्ट करें।
2. श्री संजीव जैन, वि. प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय), (मुख्यालय), द्वारका एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, वि. जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), केन्द्रीय जिला एवं केन्द्रीय समन्वयक/सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली, श्री हेम राज, वि. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला न्यायालय दिल्ली तथा सुश्री नीति सूरी मिश्रा, वि. अति. मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, उत्तर-पश्चिम व सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला न्यायालय दिल्ली।
3. समस्त वि. न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त वरि. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त न्यायिक जिलों मे स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभागों के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, सी-विंग, सातवां, तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली।

नोट:- कृप्या अपने नियंत्रणाधीन व अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएँ।

अध्यक्ष/केन्द्रीय समन्वयक
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय, दिल्ली।